फर्द अहकाम

सरकार बनाम आकांक्षा व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 23/2025 (वाद : धारा 177)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	07/01/26	यह पत्रावली आज दिनांक को प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली नियत तारीख पेशी से तलब की जाकर शीघ्र सुनवाई किये जाने के प्रस्तुत किए जाने पर पेश हुई। अप्रार्थी वादी तहसीलदार आमेर स्वयं उपस्थित है। अनापत्ति व्यक्त की गई है। अतः न्यायहित में इस्तिगासा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली नियत तारीख पेशी से तलब की जाकर आज बहस हेतु नियत की जाती है। उभयपक्ष वकालान की बहस वाद (प्रार्थना पत्र) धारा 177 राज. काश्त अधि. 1955 पर सुनी गई। हमने उभयपक्ष वकालान की बहस सुनी, तथ्यों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है, जिस पर किसी भी प्रकार का गैर अनुमत/गैर कृषि कार्य अपेक्षित नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से भिन्न अन्य किसी गैर अनुमत/व्यावसायिक कार्य को अस्वीकार किया गया है तथा भविष्य में उक्त आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ कार्यों में उपयोग में लिया जावेगा तो सक्षम प्राधिकारी अथवा जरिए से भूमि की किस्म परिवर्तन करवा ली जावेगी बाबत स्वीकारोक्ति P.T.O. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

सरकार बनाम आकांक्षा व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 23/2025 (वाद : धारा 177)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
07/01/26	व्यक्त की गई है। अतः अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733 कुल खसरा किता 07 कुल रकबा 6.19 हे. जो कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के नाम दर्ज अंकित है, पर विधिक प्रक्रिया के अभाव में कृषि कार्य से भिन्न किसी प्रकार का गैर कृषि/व्यावसायिक कार्य ना करे तथा मौके पर कृषि भूमि के रूप में मौके की यथास्थिति बनाए रखें। साथ ही तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा वर्णित भूमि पर पुनः गैर कृषि व्यावसायिक कार्य किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जावे। निर्णय सुनाया गया। (विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल है) पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर, मुख्यालय,जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर, आर.ए.एस.
वाद/प्रार्थना पत्र संख्या : 23/2025
निर्णय दिनांक: 07.01.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

प्रार्थी/वादी

बनाम

1. आकांक्षा अग्रवाल पुत्री अशोक
2. मनीष अग्रवाल पुत्र दुर्गा प्रसाद
3. संतोष अग्रवाल पत्नि अशोक
4. साहिल अग्रवाल पुत्र अशोक

समस्त जाति महाजन निवासी 63, माधोसिंह रोड बनीपार्क जयपुर।

–अप्रार्थी/प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक:– 07.01.2026

पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार आमेर व अप्रार्थीगण उपस्थित। उभयपक्षकारान को प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सुना गया।

प्रार्थी तहसीलदार आमेर द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया है कि प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत वर्णित भूमि आ.ख.नं. 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733 कुल खसरा किता 07 रकबा 6.19 है. की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से आवासीय कालोनी बसा रखी है जबकि वर्णित भूमि वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज है। अप्रार्थीगण ने उक्त वर्णित भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का रूपान्तरण नहीं करवाया है, ना ही आवास बनाने की अनुमति प्राप्त की है। इस प्रकार अप्रार्थी ने कृषि से भिन्न कार्य किया है तथा राज. काश्त. अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन किया है। उल्लेखित भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्णित खातेदारी भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाने तथा अप्रार्थी प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

वाद/प्रार्थना पत्र धारा 177 का जवाब प्रस्तुत कर जवाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधिवक्ता अप्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि उक्त उनवानी प्रकरण में सरकार की ओर से तहसीलदार आमेर की ओर से प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 726, 727, 728, 729 730 732 व 733 के संदर्भ में न्यायालय हाजा के समक्ष गैर कृषि के प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में लिये जाने का प्रस्तुत कर मिन अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करने का अनुतोष व्यक्त किया गया है। जबकि वास्तविक व मौका स्थिति अनुसार उल्लेखित मौके पर कच्चा रास्ता स्थित है जो कि आवागमन हेतु सुगम अवस्था में नहीं है तथा उक्त कच्चे रास्ते में बरसात के दिनो में किचड हो जाने से साधनो के आने जाने में व्यवधान होता है जिससे मिन अप्रार्थीगण उक्त भूमि में कृषि कार्य हेतु साधन ले जाने में असमर्थ हो जाते है। जिससे मिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने हक अधिकार की उक्त कृषि भूमि में कृषि जोत व अन्य कार्यो हेतु साधनो के आवागमन की सुगमता हेतु मौके पर स्थित कच्चे रास्ते पर मोरम मात्र डाली गई है। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से गैर कृषि कार्य प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नहीं किया है, ना ही आवासीय प्रयोजनार्थ कोई निर्माण किया गया है एवं ना ही किसी भी प्रकार से प्लॉटिंग

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से कृषि स्वरुप परिवर्तन नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी प्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधान है इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के पारा अन्य को अपने परिवार के भरण पोषण का साधन नही है। मिन अप्रार्थीगण अपनी कब्जे काश्त की उक्त खातेदारी भूमि में भू.जल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने से मात्र बरसाती खरीफ की फैसल ही उगा का खेती कार्य करते आ रहे हैं तथा मिन अप्रार्थीगण अपनी फसलो को जानवरो से बचाने हेतु सुरक्षार्थ व सींव डोल के लगवा खातेदारो द्वारा अतिक्रमण से बचाव हेतु चारो और लगभग 02 फीट बाउण्ड्रीवाल लगवा कर चारो ओर तारबन्दी कर निरन्तर कृषि कार्य कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। मिन अप्रार्थीगण द्वारा उनवानी प्रकरण में वर्णितानुसार वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में ऐसा कोई गैर विधिक/ गैर अनुमत कृत्य कारित नहीं किया है जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत आता हो। वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार ने कोई अहितकर कार्य नहीं किया है ना किसी भी प्रकार से ओवर एक्ट करने का विचार रखते है। अप्रार्थी–तहसीलदार/प्रार्थी के अधीनस्थ हल्का पटवारी ने मिथ्य व गलत रिपोर्ट प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की है मौके पर कोई पक्की रोड निर्मित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी का गैर कृषि में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यदि मिन अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में उक्त आराजी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ कार्यो में उपयोग में लिया जावेगा तो समक्ष प्राधिकारी अथवा जेडीए से भूमि की किस्म परिवर्तन करवा ली जावेगी। प्राथीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के धारा 177 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया है। इसलिये प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की उक्त खातेदारी भूमि से बेदखली करवाने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। उक्त उनवानी प्रकरण प्रार्थी तहसीलदार आमेर द्वारा मिथ्या व गलत आधारो पर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिससे प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र उक्त उनवानी प्रकरण खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षकारान को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि के रूप में दर्ज अंकित है। जिस पर किसी भी प्रकार का गैर अनुमत/गैर कृषि कार्य अपेक्षित नहीं है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा कृषि से भिन्न अन्य किसी गैर अनुमत /व्यावसायिक कार्य को अस्वीकार किया गया है, तथा भविष्य में उक्त आराज़ी को गैर कृषि प्रयोजनार्थ कार्यो में उपयोग में लिया जावेगा तो समक्ष प्राधिकारी अथवा जेडीए से भूमि की किस्म परिवर्तन करवा ली जावेगी बाबत स्वीकारोक्ति व्यक्त की गई है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम सुन्दरपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वाद अधीन भूमि आ.ख.नं. 726, 727, 728, 729, 730, 732, 733 कुल खसरा किता 07 रकबा 6.19 है. जो कि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज अंकित है, पर विधिक प्रक्रिया के अभाव में कृषि कार्य से भिन्न किसी प्रकार का गैर कृषि/व्यावसायिक कार्य ना करें तथा मौके पर कृषि भूमि के रूप में मौके की यथास्थिति बनाए रखें। साथ ही तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अप्रार्थीगण द्वारा वर्णित भूमि पर पुनः गैर कृषि व्यावसायिक कार्य किया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फर्स्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
सहायक कलेक्टर (फर्स्ट ट्रेक) आमेर,
मुख्यालय, जयपुर